संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, छठवी मंजिल, मध्यप्रदेश, भोपाल
दूरभाष कमांक 0755—2551719, 2550186
फेक्स—0755—2578844,2550186

शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यलाय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु प्री—पीजी 2015 की स्टेट कोटे की तृतीय चरण की आफलाईन काउंसलिंग के उपरांत शेष रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की प्रकिया के संबंध में सूचना ।

किसी भी कारण से शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों स्नातकोत्तर पाठ्यकमों (एमडी/एमएस/डिप्लोमा एवं एमडीएस) में रिक्त रही सीटों के आवंटन एवं प्रवेश की कार्यवाही गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में निम्न कार्यकम के अनुसार की जावेगी ।

दिनांक 09/06/15— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के समस्त पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी ।

दिनांक 10/06/15— अनारक्षित श्रेणी के समस्त पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी ।

उक्त कार्यकम में अभ्यर्थियों को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है । उपलब्ध सीटें श्रेणी एवं मेरिट अनुसार अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जावेगी । सीट आवंटन के लिये अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों एवं निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है । अभिलेखों एवं फीस के अभाव में आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा रिक्त सीट मेरिट के अनुसार मेरिट के आगामी कम के अभ्यर्थी को उपलब्ध करा दी जावेगी ।

4.6.15

संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश

सतपुडा भवन, छठवी मंजिल, मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाष क्रमांक 0755–2551719, 2550186

फेक्स–0755–2578844,2550186

शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में(एमडी /एमएस/डिप्लोमा)प्रवेश हेतु प्री–पीजी 2015 की स्टेट कोटे की तृतीय चरण की आफलाईन काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रकिया के संबंध में सूचना ।

आवश्यक सूचना

वर्तमान में दिनांक 1 जून , 2015 से प्रारंभ हुई तृतीय चरण की आफ लाईन काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे से प्रदेश में प्रवेशित छात्रों द्वारा रिक्त की गई सीटों पर मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण का निर्धारण ड्रा–ऑफ लॉट के द्वारा दिनांक 7/6/15 को गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के आडिटोरियम में किया जावेगा । इसके पश्चात् ही दिनांक 7, 8 जून 2015 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार श्रेणीवार सीट आवंटन की कार्यवाही की जायेगी । सीट आवंटन के लिये अभ्यर्थियों को मूल अभिलेखों एवं निर्धारित फीस के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है । अभिलेखों एवं फीस के अभाव में सीट आवंटन नहीं किया जावेगा ।

4.6.15

संचालक चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश